(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1462-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-6-2006 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 4/1998-99 अपील

हरप्रसाद पुत्र वृजनन्नदन प्रसाद पाण्डेय
निवासी ग्राम दादर तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --रिस्पा0

(अपीलांट के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 07-4-2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 16-4-1992 प्रस्तुत कर अपर कलेक्टर रीवा को अवगत कराया कि ग्राम मरहा तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 641 अनिरूद्ध प्रसाद पाण्डेय के नाम है । अपीलांट उसका भाई है जिसने इस आराजी में से 6972 एम0टी0 चूना पत्थर बिना

सक्षम अनुमति के उत्खनन करके बाजार में विक्रय किया है जिसके आधार पर कार्यवाही की जाय। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 26 अ 67/1991-92 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलांट द्वारा बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया, जो समाधान-कारक न पाये जाने से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा आदेश दिनांक 18-2-1994 से अपील स्वीकार कर प्रकरण अपर कलेक्टर रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जाय।

अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रकरण आने पर अपीलांट को सुनवाई हेतु पेशी नियत की जाकर सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु अपीलांट सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा। फलतः अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 26 अ 67/ 1991-92 में आदेश दिनांक 13-4-1998 पारित किया तथा अपीलांट को अवैध उत्खनन का दोषी पाये जाने से उत्खनिज खनिज का बाजारू मूल्य 2,44,020/- अधिरोपित कर उसकी दोगुणी राशि 4,88,040/- रू. अर्थदण्ड अधिरोपित किया। अपर कलेक्टर, रीवा के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 4/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 से अपील अस्वीकार की । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि जब अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 18-2-94 से प्रकरण अपर कलेक्टर को रिमांड होकर आया, अपर आयुक्त द्वारा अपीलांट को सूचना जारी किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है , इस पर आयुक्त रीवा संभाग ने ध्यान नहीं दिया है इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 18-2-94 से अपर कलेक्टर को अपीलांट की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है किन्तु प्रकरण का प्रत्यावर्तन अपीलांट की मॉग पर है और यह तथ्य उसके अभिज्ञान में था कि उसकी पुनः सुनवाई अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में उसकी मांग अनुसार की जाना है किन्तु अपीलांट ने अपर कलेक्टर न्यायालय में जाकर प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेने का प्रयास करना नहीं पाया गया है एंव यह जानने का प्रयास भी नहीं किया है कि उसके प्रत्यावर्तित प्रकरण में क्या कार्यवाही विचाराधीन है, जबकि अपर कलेक्टर रीवा ने अपीलांट को विधिवत् सूचना पत्र जारी किया है एंव सम्यक निर्वहन के अभाव में चस्पीदगी से सूचना पत्र का निर्वहन कराया है । अपीलांट जानबूझकर उपेक्षा करते हुये अपर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहा है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने अपीलांट की इस मांग पर विचार नहीं किया है जिसमें हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ जहॉ तक अपीलांट द्वारा अवैध उत्खन्न के प्रमाणित/अप्रमाणित होने बावत् तर्क का प्रश्न है ? खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 13-6-06 में की गई विवेचना से स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार **ग्राम मरहा तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे कमांक 641, जो अनिरूद्ध प्रसाद पाण्डेय के नाम है और अपीलांट ने उसका भाई होने के कारण इस आराजी में से 6972 एम0टी0 चूना पत्थर बिना सक्षम अनुमति के उत्खनित करके बाजार में विकय करना प्रमाणित हुआ है** जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा द्वारा अवैध उत्खनन होना प्रमाणित पाने के आधार पर अपीलांट पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 4/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 13-4-98 में तथा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 13-6-06 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर